अति महत्वपूर्ण

उप निर्वाचन
258-हण्डिया (इलाहाबाद)

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्याः 2858/9.1.13-35सा/07
लखनऊः दिनांक 30 मई, 2013

विज्ञप्ति

निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट संख्या-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति सं0 20/25-26-पब-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में निर्दिष्ट तिथि को अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ के तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट आगामी **258-हण्डिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन के प्रयोजन के लिए** संबधित जनपद (इलाहाबाद) में मतदान की तिथि को वहां के **नगर निगम, नगर पंचायतों एवं जल संस्थानों तथा जल निगम में कार्यरत मस्टररोल, दैनिक वेतन एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों सहित** समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को मतदान की तिथि को मत देने की सुविधा के उद्देश्य से **सार्वजनिक सवेतन अवकाश** घोषित करते हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अवकाश के बदले अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

क्र0सं0	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम/जनपद	मतदान की तिथि	अवकाश का दिन एवं तिथि
1	2	3	4
1	258-हण्डिया, इलाहाबाद	दि0 02.06.2013	दि0 02.06.2013 (रविवार)

(सी0बी0पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवः
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ, लखनऊ-226001 को उनके पत्र सं0 3763/सी0ई0ओ0-4, दि0 10 मई, 2013 के क्रम में।
2. मण्डलायुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, इलाहाबाद।

5.निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति का संबधित जनपद में आवश्यक प्रचार प्रसार कराने का कष्ट करें।

6. नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।

7. प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

8. महाप्रबंधक, जल संस्थान, उ0प्र0।

9.संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति का उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में प्रकाशन कराकर उसकी 10 प्रतियां नगर विकास अनु01, बापू भवन, सातवां तल, उ0प्र0सचिवालय, लखनऊ को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

10. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायतें, इलाहाबाद द्वारा जिलाधिकारी।

11.सामान्य प्रशासन अनुभाग, उ0प्र0शासन।

12. समस्त अनुभाग नगर विकास विभाग।

13. बेव मास्टर, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को विभागीय साइट पर अपलोड कर, समस्त संबधित को ई-मेल किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14.गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।